राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्री.बी.एम.ई.टी.–2026

(प्री.बी.एड.–एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026)

तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु

सामान्य दिशा–निर्देशिका

प्रो. अल्पना कटेजा
कुलगुरु
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. राम अवतार शर्मा
समन्वयक
प्रीबीएमईटी प्रवेश प्रक्रिया –2026

प्री.बी.एम.ई.टी.–प्रवेश प्रक्रिया –2026
शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर–302004
ई–मेल pbmet2026ru@gmail.com
मो. नं. 7340183600
वेबसाईट www.uniofraj.org

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिसूचना प्री.बी.एड.–एम.एड.–2026	1
2.	प्री.बी.एड.–एम.एड.–2026 प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश	2–3
3.	सामान्य निर्देश (बी.एड.–एम.एड. के प्रवेश नियम, पात्रता नियमों की व्याख्यात्मक टिप्पणी)	4–8

PBPED, PMPED, PMED & PBED-MED/2026/27 दिनांकः 19.09.2026

अधिसूचना संख्या 01/2026

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र् 2026–26 के लिए बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों एवं तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22/09/2026 से 30/09/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट **www.uniofraj.org** का अवलोकन कर तद्नुसार ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें। प्रवेश सम्बंधित विस्तृत दिशा–निर्देश/सूचना के लिये आवेदक समय–समय पर अधिकृत वेबसाइट देखते रहें।

क्र.स.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	ऑनलाइन आवेदन प्रांरभ करने की तिथि	22/09/2026
2.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	30/09/2026

(प्रो. राम अवतार शर्मा)
समन्वयक

प्री.बी.एड.–एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया –2026 हेतु दिशा निर्देश

1. **प्रवेश एजेन्सी राजस्थान विश्वविद्यालय** : राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पत्रांक–प.10(3) शिक्षा ग्रुप–4/2016–00224 पार्ट जयपुर के दिनांक 23.07.2026 के द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2026–2027 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट **www.uniofraj.org** पर इससे सम्बन्धित दिशा निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन करें तत्पश्चात् ही सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र भरें। ध्यान रहे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में सामान्य सी त्रुटि आपको इस प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।

    - सत्र 2026–27 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड., एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाईट **www.uniofraj.org** से पंजीकरण कर **22/09/2026 से 30/09/2026** तक प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपए 1100/– भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/यूपीआई/नेट बैंकिग अथवा ईमित्र के माध्यम से करना होगा। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा। सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिन्ट कर सकेंगे।

      आवेदक ध्यान दें –

      (क) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का Preview चैक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।

      (ख) आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।

      (ग) एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।

      (घ) यदि तकनीकी कारणों से प्रवेश प्रक्रिया शुल्क का भुगतान विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 मिनट इंतजार पश्चात् वेबसाईट पर उपलब्ध Check Payment Status विकल्प पर चैक करने पर यदि प्रवेश प्रक्रिया शुल्क का भुगतान सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने के प्रक्रिया हेतु आगे बढें तथा यदि शुल्क का भुगतान इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क जमा करवाना होगा। विफल भुगतान का शुल्क लौटाने की कार्यवाही दो सप्ताह में बैंक के द्वारा स्वतः ही उसी खाते में की जाएगी जिस खाते से शुल्क जमा हुआ था।

      (ड़) भुगतान संबंधी समस्या के समाधान हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हेल्पलाईन न. **+919372505528** पर संपर्क कर सकते हैं।

    - ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् वेबसाईट पर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। **साथ ही अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाएं जिस पर समय–समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।**

      उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण (बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या एवं IFSC कोड) सही–सही भरें। काउंसलिंग के पश्चात्

प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु जमा करवाया गया शुल्क रूपए 5000/— में से प्रक्रिया शुल्क घटाने के पश्चात् शेष शुल्क राशि उक्त विवरण के आधार पर ही लौटाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

- **पाठ्यक्रम शुल्क** :— बी.एड.—एम.एड पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा <u>**राशि रू. 26990/—**</u> वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया हुआ है। अतः अभ्यर्थियों से कुल शुल्क उपरोक्तानुसार ही लिया जाना है।
- **ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तीन प्रतियों में प्राप्त करें।**

3. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है और निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज नहीं करना व जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र लगाना, इस प्रवेश में लाभ प्राप्त करने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक किया गया कृत्य माना जायेगा।**
4. राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय—समय पर जारी/निर्मित आदेश एवं निर्देश आदि प्रवेश प्रक्रिया पर लागू होंगे।
5. पीबीएमईटी आवेदन—पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें, पहले आवेदन फार्म तथा शुल्क रू. 1100/— का मूल चालान, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परित्यकता (तलाकशुदा)/विधवा/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, फीस जमा कराने की चालान की प्रति की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

नोटः— अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय पात्रता का निर्धारण स्वयं करें, क्योंकि आवेदन करने के स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है। ऑनलाईन आवेदन करना एवं परीक्षा में शामिल होना अभ्यर्थी का अपना जोखिम है। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र सिद्ध होता है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

सामान्य निर्देश

राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं संस्थानों में बी.एड.–एम.एड. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रवेश कार्य किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न बी.एड.–एम.एड. महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2026–27 के लिए तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 22/09/2026 से 30/09/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्री.बी.एड.–एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026 सत्र 2026–27 के तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र मय शुल्क रू. 1100/– सहित ऑनलाईन ही प्रेषित करना है।

बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमः–

1. राजस्थान के बी.एड.–एम.एड. महाविद्यालयों एवं संस्थानों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
2. तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे अभ्यर्थी पात्र हैं जो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान/समाज विज्ञान/मानविकी विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गयी है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (टाडा भी)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, विधवा एवं तलाकशुदा (परित्यक्ता) महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ही आवेदन करने योग्य है।
3. स्नातकोत्तर परीक्षा/समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिनका परीक्षा परिणाम 15/10/2026 तक घोषित नही हुआ, वे नॉन ज्यूडिशियल रू. 50/–के स्टाम्प पेपर पर घोषणा करेगें कि मेरा स्नातकोत्तर परीक्षा/समकक्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही महाविद्यालय को मूल अंकतालिका दे दी जायेगी। अगर मेरे परिणाम के कारण मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो मैं समस्त जमा करवाये गए शुल्क की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
4. बी.एड.–एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया, 2026 में अभ्यार्थियों का प्रवेश लिखित परीक्षा द्वारा नहीं किया जाएगा।
5. राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया हैः–
   I. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नही हो शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं।

II. अन्य आरक्षण इस प्रकार रहेगाः–

i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत

ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए)

iii. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 22 प्रतिशत

iv. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार) देय होगा

v. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगा।

vi. राजस्थान के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, मूक/बधिर एवं अस्थि दिव्यांगजन सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नं. 4 पर नियमानुसार प्रस्तुत करने पर 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर।

vii. राजस्थान के सेवारत/सेवानिवृत रक्षाकर्मियों (Defence) एवं उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर। **(सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.), सेन्ट्रल पुलिस बल एवं टेरिटोरियल बल के कर्मियों का इस श्रेणी में कोई आरक्षण नही है।)**

viii. राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर पर 10 प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी।

6. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का नवीन प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
8. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नही की है, देना अनिवार्य होगा।
9. रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें भी प्री.बी.एड.–एम.एड. प्रवेश परीक्षा–2026 में राजस्थान का माना जा सकता है। बशर्ते उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
10. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा ओर यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
11. पात्र अभ्यर्थीयों की कुल संख्या में से पहले अनारक्षित सीटों हेतु चयन किया जायेगा, तत्पश्चात आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।

12. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची का परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा। काउन्सलिंग की समय सारणी वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे वेबसाईट पर ध्यान रखें। किन्हीं अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या ऑनलाईन काउन्सलिंग होने पर निश्चित समय पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं करने या काउन्सलिंग के समय जो महाविद्यालय उनकों आवंटित किया जाता है, उसें अस्वीकार करने पर तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मैरिट का स्थान खो देगे और पुनः उनके मामले पर विचार नही किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद पुनः किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है।
14. पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
15. काउन्सलिंग की तिथि 15/10/2026 तक निर्धारित पात्रता परीक्षा की मूल अकंतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता उपरोक्त बिन्दु सं. 03 में वर्णित विवरण के अनुसार होगी।
16. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी की मेरिट, संकाय, श्रेणी एवं उसके बनने वाले शिक्षण विषयों को ध्यान में रखते हुए ऑन–लाईन काउन्संलिंग द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का दावेदार नही हो जाता।

17. **बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में** प्रवेश **के लिए अभ्यर्थी के** स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है।

    (i) शिक्षण विषय से अभिप्राय ऐसे विषय से है जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो। यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्त अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम दो वर्षो तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नही होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय–सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा–भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये है या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ कर द्वितीय वर्ष में छोड़ दिया गया हो। शिक्षण विषय के रूप में नही माना जायेगा। ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा। बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा–सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अन्त में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उतीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग–अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन (Compilation) होना आवश्यक है।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल ,दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र– इन विषयों में से किन्ही दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हे बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iii) कृषि स्नातको को बी.एड. परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान और जीव–विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होनें अपनी बी.एससी. डिग्री होम साइन्स विषय को लेकर अथवा बी. एससी. परीक्षा (i) रसायन भास्त्र (Chemistry) और (ii) जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात जीव–विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उतीर्ण की है।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उतीर्ण की है वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने के पात्र होगें।

पात्रता नियमों की व्याख्यात्क टिप्पणियाँ :

(i) प्री.बी.एड.–एम.एड. के संकायवार मेरिट के लिए अभ्यर्थी का वही संकाय माना जायेगा जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उतीर्ण की है अर्थात जो अर्हताकारी परीक्षा है तथा जो शिक्षण के अभ्यास के लिए विषय चुनने के योग्य बनाती है। स्नातक परीक्षा की संकाय से भिन्न स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय होने पर न तो मैरिट निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जायेगा और न ही शाला–शिक्षण विषयों को लेने हेतु इस पर विचार हो सकेगा।

(ii) जहाँ किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उतीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनो विषय शाला–शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके मैरिट निर्धारण के लिए उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय दिया जा सकता है।

(iii) वाणिज्य स्नातक **'अर्थशास्त्र'** विषय नहीं ले सकता है।

(iv) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढे हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाया जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय (Practice Teaching Subject) नियमानुसार नही बनते है वे टेस्ट मे बैठने हेतु पात्र नही है। बी.बी.ए./बी. सी.ए./बी.ई./बी.एस.सी. बॉयोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उतीर्ण अभ्यर्थी जिनके बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाया जाने वाला विषय नही बनने के कारण वे भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है।

अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक सामान्य निर्देशः–

(I) अभ्यर्थी को प्री. बी.एड.–एम.एड. प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये, क्योंकि बी.एड.–एम.एड.. प्रवेश स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। प्री. बी.एड.–एम.एड में प्रवेश की

जिम्मेदारी स्वतः अभ्यर्थी की अपनी है। यदि बाद में यह पता लगे कि वह प्री.बी. एड.–एम.एड प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता और वह प्री.बी. एड. –एम.एड में बैठ जाता है तो भी उसे प्रवेश का कोई अधिकार नही होगा।

(II) अभ्यर्थी को ऑनलाईन उपलब्ध नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उनकी पालना करनी चाहिये।

(III) परीक्षा आवेदन पत्र के साथ (प्रमाण–पत्र/अंकसूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नही करना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किये बगैर पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(IV) **प्री.बी.एड.–एम.एड. का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नही होगा।** अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।

(V) अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्री.बी.एड.–एम.एड .नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(VI) दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होगे और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि (Oldest) को आधार माना जायेगा।

END*********************************